<u>प्रकरण संख्या 73/2024 विकास व अन्य बनाम परसराम व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी श्री शान्तिलाल व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती सूरजदेवी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 7 से 13 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 429, 430, 432, 433, 434, 437, 438, 455 से 459, 468 से 470 कुल किता 15 रकबा 3.2800 हैक्टर भूमि मौजा टोडी, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 142 से 145, 149, 150, 155, 156, 159, 160, 162 कुल किता 11 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा थे। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 7 से 13 का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष भेरा जी थे, जिनके दो पुत्र भग्गा व नाना हुए। नाना के वारिस प्रार्थीगण हैं, जबकि भग्गा के वारिस विपक्षी संख्या 7 से 13 हैं। उक्त आराजियात मृतक भेरा जी को महारावत नरदेवसिंह जी द्वारा माफी चकराना में प्राप्त हुई थी, तब से उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का अपने बाप–दादाओं के समय से आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम बिना किसी अधिकार 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है, जबकि इस प्रकार का अंकन करने का अधिकार सेटलमेन्ट अधिकारी को नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 7 से 13 का 1/4 हिस्सा है, जिसे वह अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में से हाल आराजी नंबर 430 का 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 15 लक्ष्मण को विक्रय किये जाने पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 15 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में वाद प्रस्तुत किया, तब विपक्षी संख्या 15 ने प्रार्थीगण को बताया, तो सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा किये गये अंकन का पता चला है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी नि[illegible] पाबन्द किया जावे कि विपक्षीगण उक्त कृषि आराजियात किसी [illegible] रहन, बेह, बक्षीस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा है। इस संबंध में भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहां केस चलकर उसमें विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है तथा विपक्षी संख्या 1 से 4 का मौके पर कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। इस भूमि के मूल पुरूष भेरा जी नहीं होकर दल्ला जी थे, जिसके दो पुत्र भेरा व उदयलाल थे। उदयलाल के तीन लड़के हीरा, रूपा व परसराम हुए। रूपा लाऔलाद फोत हुआ। हीरा के वारिस विपक्षी संख्या 2 से 4 हैं, जबकि परसराम जीवित होकर विपक्षी संख्या 1 है। इसी प्रकार भेरा के दो पुत्र नाना व भग्गा हुए, जिनके वारिस प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 7 से 16 हैं। उक्त भूमि भेरा व उदयलाल जी की थी तथा इससे पहले दल्ला जी की थी। भेरा बड़ा भाई होने से यह जमीन उसके नाम दर्ज हो गयी एवं भेरा के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसों के नाम दर्ज हो गयी। इस संबंध में उदयलाल के वारिसों ने भू–प्रबन्ध अधिकारी (पार्टी प्रथम) के यहां इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके मुकदमा नंबर 155/83 थे। जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 25.07.1984 को भेरा का 1/2 हिस्सा एवं उदयलाल का 1/2 हिस्सा मानकर निर्णय पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील भेरा के वारिसों द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसके प्रकरण संख्या 82/84 होकर उक्त अपील दिनांक 09.11.1984 को राजीनामें के आधार पर खारिज की गयी है। स्वयं अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट उदा का 1/2 हिस्सा मानते हुए अपील निरस्त करवा दी, इसलिए अब भग्गा व नाना के वारिसान को यह दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05.07.2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धनसिंह सिसोदिया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त आराजियात भेरा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया है। सेटलमेन्ट द्वारा इन्द्राज दुरस्ती तभी की जा सकती है, जब सेटलमेन्ट द्वारा कोई गलती की गयी हो, जबकि साबिक सेटलमेन्ट में भी भेरा का नाम ही अंकित था, जो अपीलान्टगण के दादा थे, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सेटलमेन्ट अधिकारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है। सेटलमेन्ट के आदेश के विरूद्ध किसने अपील की, किसने विड्रो किया, कितने पक्षकार थे, मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। मूल पुरूष भेरा जी नहीं होकर दल्ला जी थे, इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी आधारों पर निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1993 पेज 602 एवं आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 37 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय नजीरों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में विवादित आराजियात में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 से 6 का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 7 से 13 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु का विस्तृत विवेचन करते हुए विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार होने के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं माना है एवं उक्त आधार पर अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलान्ट/प्रार्थीगण का उक्त आराजियात में 1/4 हिस्सा है अथवा 1/2 हिस्सा इसका निस्तारण तो वाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान में विपक्षीगण विवादित आराजियात के रेकार्डेड सहखातेदार होने से रेकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को हम विधि सम्मत पाते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested